

दी चिल्ड्रंस गारजियन
जिन बच्चों को संरक्षण चाहिये उन्हें बेहतर से बेहतर परिणाम
हासिल करने में सहयोग देना

The Children's Guardian
Helping to achieve the best possible outcome
for children who need safeguarding

(Hindi)

केफ़कास (CAFCASS) क्या है?

दी चिल्ड्रन ऐंड फैमिली-कोर्ट एडवाइज़री ऐंड सपोर्ट-सर्विस (CAFCASS), यानी बच्चों एवं पारिवारिक मामलों से संबंधित विषयों पर न्यायालय को सहयोग और प्रामर्श देने वाली सेवा उन बच्चों के हितों का संरक्षण ¹ करती है जो पारिवारिक मामलों से संबंधित कोर्ट कार्रवाई में शामिल हैं, और उनके कल्याण को प्रोन्नत करती है। हम बच्चों और परिवारों के सहयोग से अपना कार्य करते और यह सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों की बात सुनी जाए और उनकी आवश्यकताएं पूरी की जाएं।

हम न्यायालयों को सुझाव देते हैं, ताकि वहां लिये जाने वाले निर्णय बच्चों के सर्वोच्च हित में हों। हम एक स्वतंत्र संस्था हैं। हम कोर्टस, सोशल-सर्विसेज़ ², शिक्षा या स्वास्थ्य विभाग, और इसी तरह की अन्य एजेंसियों के अधीन नहीं हैं। हम केवल फैमिली कोर्टस के लिये कार्य करते हैं। यह कोर्टस, क्रिमिनल कोर्टस यानी आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाली कोर्टस नहीं हैं।

¹ दी चिल्ड्रन ऐक्ट के तहत बच्चों के लिये काम करने वाली उन संस्थाओं और एजेंसियों पर यह दायित्व है कि वे बच्चों के हितों का संरक्षण करने और उनके मामलों को प्रोन्नत करने की व्यवस्था करें। विशेष कर यह व्यवस्था करें कि बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित रहें, आनंदमय जीवन बिताएं एवं उपलब्धियां हासिल करें, सकारात्मक योगदान दें और उनकी आर्थिक परिस्थिति कुशल रहे।

² इस पुस्तिका में सोशल-सर्विसेज़ का मतलब वह काम है जो लोकल-एथॉरिटी सामाजिक कार्य अनजाम देने के लिये करती है, विशेषतः से बच्चों की देखभाल का काम।

चिल्ड्रंस गारजियन क्या होता है ?

चिल्ड्रंस गारजियन, सोशलवर्क में योग्यताप्राप्त व्यक्ति होते हैं, जो बच्चों और पारिवारिक मामलों में प्रशिक्षित और अनुभवी होते हैं। बच्चों के हितों और उनके अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिये वे कोर्ट द्वारा ऐसे केसों में नियुक्त किये जाते हैं जिनमें सोशल-सर्विसेज़ भी शामिल हों। चिल्ड्रंस गारजियन स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, और वे सोशल-सर्विसेज़, कोर्ट या केस से जुड़ी किसी भी अन्य संस्था के अधीन नहीं होते। व केफ़कास के लिये कार्य करते हैं, या स्वरोज़गार के आधार पर केफ़कास उनको कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त करती है।

चिल्ड्रंस गारजियन क्या करते हैं ?

चिल्ड्रंस गारजियन यह कोशिश करते हैं कि वे जिन बच्चों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन बच्चों के लिये सर्वोत्तम परिणाम हासिल करें, विशेष कर:

- वे बच्चों के लिये ऐसा सॉलीसिटर तलाश करते हैं जो बच्चों और पारिवारिक मामलों का विशेषज्ञ हो
- कोर्ट को यह बताते हैं कि निर्णय लेने से पहले कौन-कौनसे काम किये जाने चाहियें
- कोर्ट के लिये एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसमें यह राय दी जाती है कि बच्चों के हित में सब से बेहतर क्या रहेगा। रिपोर्ट में यह बताया जाना चाहिये कि बच्चों की क्या भावनाएं हैं, और बच्चे क्या चाहते हैं।

ऐसा करने के लिये चिल्ड्रंस गारजियन बच्चों और परिवारों के साथ समय बिताते हैं, ताकि वे उनकी परिस्थिति से अवगत हो सकें। व उन लोगों से भी बात करते हैं जो परिवार को जानते हैं, जैसे सगेसंबंधी, टीचर्स, सोशलवर्कर्स और हेल्थ-विज़िटर्स इत्यादि। वे बच्चों की तरफ़ से मीटिंगों में शामिल होते हैं, रिकॉर्ड्स की पड़ताल करते हैं, रिपोर्ट्स और बयान (स्टैटमेंट्स) पढ़ते हैं। वे कोर्ट से यह विनती भी कर सकते हैं कि अन्य विशेषज्ञों से सहायता ली जाए, जैसे किसी पीडियाट्रीशियन (बाल-रोग विशेषज्ञ) या साइकॉलॉजिस्ट (मनोविज्ञानी) से।

चिल्ड्रंस गारजियन को बताई जाने वाली बात क्या गोपनीय रहती है ?

चिल्ड्रंस गारजियन को दी जाने वाली कोई सी भी सूचना उस रिपोर्ट में शामिल की जा सकती है जो कोर्ट के लिये तैयार की जाती है, और यह सूचना अन्य उद्देश्यों के लिये भी प्रयोग की जा सकती है। उदाहरण के लिये यदि बच्चे की सुरक्षा खतरे में है तो सूचना अन्य विभागों को भी दी जा सकती है। इसके अलावा, हम अधिकृत हैं कि बच्चों एवं परिवारों के हित में जो विषय हैं उनपर रीसर्च (अनुसंधान) करें। इसलिये रीसर्च करने के मामलों में कभी-कभी आपके द्वारा दी जाने वाली सूचना आपकी पहचान बताए बिना प्रयोग की जा सकती है।

क्या चिल्ड्रंस गारजियन हमेशा उस बात की ही सिफ़ारिश करता है जो बच्चा चाहता है ?

चिल्ड्रंस गारजियन हमेशा बच्चे की पसंद और इच्छाओं का ध्यान रखता है, और इस बारे में कोर्ट को भी बताता है, परंतु रिपोर्ट में इस बात का विवरण भी दिया जाता है कि बच्चे के हित में क्या बेहतर रहेगा, जो संभव है बिलकुल वैसा न हो जैसा कि बच्चा चाहता है।

क्या कोर्ट वही करती है जिसका सुझाव चिल्ड्रंस गारजियन देता है?

कोर्ट यह निर्णय स्वयं लेती है कि केस में क्या होना चाहिये, परंतु चिल्ड्रंस गारजियन ने जो सुझाव दिये हैं उनपर भी सावधानीपूर्ण विचार किया जाएगा। यदि कोर्ट चिल्ड्रंस गारजियन से असहमत है तो अपनी असहमति के कारण बताएगी।

क्या आपको चिल्ड्रंस गारजियन की रिपोर्ट पढ़ने के लिये दी जाएगी?

कोर्ट को भेजने से पहले चिल्ड्रंस गारजियन सामान्यतः अपनी रिपोर्ट पर आपसे बातचीत करेगा। जब यह रिपोर्ट कोर्ट को भेजी जाएगी तो उसकी एक कॉपी आपके सॉलीसिटर को भी दी जाएगी (यदि आपका सॉलीसिटर है), वरना एक कॉपी आपको दी जाएगी।

क्या आपकी राय महत्वपूर्ण है?

हमारी सेवाओं और गतिविधियों के बारे में आपकी राय का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारी सेवाओं को बेहतर बनाने और उनको विकसित करने के लिये आपकी टिप्पणियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि हमारी सेवाएं प्रयोग करने वाले हमें उन सेवाओं के स्तर के बारे में बताएं, वह चाहे बच्चे और नवयुवक हों, माता-पिता हों, सगेसंबंधी हों, न्यायालय या अन्य एजेंसियां हों।

यह प्रतिसूचना (फीडबैक) निम्नलिखित के संबंध में हो सकती है:

- हमारी नीतियों, कार्य-शैली या सेवा के किसी भी अन्य पहलू के बारे में आपकी टिप्पणी हो सकती है
- हमारे काम या किसी एक चिल्ड्रंस गारजियन के काम की प्रशंसा हो सकती है
- हमारे काम के किसी पहलू से संबंधित शिकायत हो सकती है

सभी तरह की टिप्पणियों, प्रशंसाओं और शिकायतों की हम पड़ताल करेंगे, उनकी मॉनीटरिंग और उनपर पुनर्विचार करेंगे, और इस सबके अध्ययन से जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे उनको हमारी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाएगा।

अपनी सेवाओं को विकसित करने और अनुसंधान (रीसर्च) के लिये हम आपसे केस समाप्त हो जाने के बाद संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपके अनुभवों के बारे में जानकारी ली जा सके।

अपनी टिप्पणियां और अभिवादन हम तक कैसे पहुंचाएं

अपनी टिप्पणियां और अभिवादन हम तक पहुंचाने के लिये चिल्ड्रंस गारजियन से बात करें (बेहतर यह होगा कि लिखित रूप में दें), या अपने स्थानीय केफ़कास मनेजर को उस पते पर भेजें जो इस पुस्तिका के अंत में दिया गया है। आप चाहें तो अपनी राय इत्यादि हमारे नेशनल-ऑफ़िस को भी इस ई-मेल पते पर भेज सकते/सकती हैं: yourviews@cafscass.gov.uk

आपका केस समाप्त हो जाने के बाद हो सकता है कि हम आपके केस से संबंधित चिल्ड्रंस गारजियन या उसके मनेजर से प्रतिसूचना (फीडबैक) के लिये एक मीटिंग भी करें।

केफ़कास द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से यदि मैं संतुष्ट नहीं हूँ तो क्या करना चाहिये?

सभी पारिवारिक मामलों में हम सर्वोच्च स्तर की सेवा देने का प्रयत्न करते हैं, और बच्चों का प्रतिनिधित्व ऐसे समय में करते हैं जबकि उन्हें इसकी सब से ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिये, हमारे लिये यह जानना अत्यावश्यक है कि हमारी सेवाएं कहां-कहां इन उद्देश्यों के अनुसार नहीं दी जा सकती हैं।

हमारी एक शिकायत प्रणाली है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि शिकायतों पर संभवतः तुरंत, निष्पक्ष और प्रभावी रूप से कार्रवाई कैसे की जाए। इस दस्तावेज़ में आगे चल कर शिकायत प्रणाली से परिचय कराया गया है। संपूर्ण प्रक्रिया का विवरण सेवाभोक्ताओं के लिये हमारी एक पुस्तिका ³ में किया गया है, जो आपके स्थानीय केफ़कास कार्यालय से मिल सकती है, या हमारी वेबसाइट www.cafcass.gov.uk के इंफ़ॉर्मेशन-सैक्शन से प्राप्त की जा सकती है।

यदि आपको शिकायत करनी हो तो क्या करना चाहिये

सेवा के किसी भी पहलू से यदि आप असंतुष्ट हैं तो जो चिल्ड्रंस गारंजियन आपके केस से संबद्ध है सबसे पहले उससे अवश्य बात करें। संभव है कि शिकायत किये बिना ही मामले का समाधान किया जा सके। दूसरा विकल्प यह है कि केस समाप्त हो जाने के बाद एक प्रतिसूचना (फीडबैक) मीटिंग के लिये अनुरोध करें। इसके बारे में ज़्यादा व्याख्या पिछले अनुच्छेद (पैराग्राफ़) में की गई है।

यदि आप ऐसा न करके शिकायत ही करना चाहें तो जितनी जल्दी संभव हो सके अपने स्थानीय केफ़कास मैनेजर से संपर्क करें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि शिकायत के लिये समयाविधि का प्रावधान है, जिसका ब्योरा अगले पृष्ठ पर दिया गया है।

रिपोर्ट की विषयवस्तु से यदि आप असहमत हैं तो बेहतर यह होगा कि इस मामले को कोर्ट में सुनवाई के दौरान उठाएं।

हमसे शिकायत करके कोर्ट के निर्णयों को नहीं बदला जा सकता। यदि आप कोर्ट के निर्णय से असहमत हैं तो यदि संभव हो तो उसके विरुद्ध अपील के लिये कानूनी सलाह लें।

इस बात का ध्यान रखें कि हमसे शिकायत करने के लिये एक समयाविधि का प्रावधान है। व्यस्कों के लिये यह अवधि घटनाक्रम या मामला घटित होने से तीन महीने है। समयाविधि के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिये कृपया वह पुस्तिका पढ़ें जिसका शीर्षक है: *Your Views Count* यानी आपकी राय महत्वपूर्ण है।

केफ़कास आपकी शिकायत की रसीद पाँच कार्य-दिवसों में आपको भेजेगी।

बच्चे कभी भी शिकायत कर सकते हैं। कोई बच्चा यदि शिकायत करना चाहे तो संपूर्ण शिकायत-प्रणाली के दौरान बच्चे को एक स्वतंत्र अधिवक्ता (एडवोकेट) की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

बच्चों की सुरक्षा

हम अन्य ऐजेंसियों के माध्यम से यह पड़ताल करते हैं कि बच्चों को गंभीर रूप से हानिग्रस्त होने की संभावना तो नहीं है। इसमें ऐसी परिस्थितियाँ भी शामिल हैं जिनमें बच्चों ने घरेलू उत्पीड़न (डॉमेस्टिक वायलेंस) होता देखा हो। पुलिस, सोशल-सर्विसेज़ और चाइल्ड-प्रोटेक्शन रजिस्टर के माध्यम से सामान्यतः पड़ताल की जाती है। अन्य ऐजेंसियों जैसे जीपी, स्कूल इत्यादि के माध्यम से भी यदि अतिरिक्त पड़ताल की आवश्यकता हुई तो

³ Your Views Count – How to make a comment, compliment or complaint about our work

हम इस बारे में पहले आपको बताएंगे। यह सूचना कोर्ट के लिये रिपोर्ट तैयार करने में प्रयोग की जाएगी, और संभव है कि सोशल-सर्विसेज़ को भी रिपोर्ट की एक कॉपी दी जाए।

हम किसी ऐसी व्यवस्था का समर्थन नहीं करेंगे जिसमें बच्चों, नवयुवकों या उनके अभिभावकों की सुरक्षा को जोखिम का सामना हो।

सांस्कृतिक विविधता

हम बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताएं पूरी करने के मामलों में अपना संपूर्ण समर्थन देते हैं, और जिस कम्युनिटी में वे पले-बढ़े हैं उस कम्युनिटी के मूल्यों का आदर करते और उनको मान्यता देते हैं। हम अपने सेवाभोक्ताओं की विविध संस्कृतियों से संबंधित जानकारी को मॉनीटर करते हैं, और उसका अभिलेखा तैयार करते हैं, उदाहरण के लिये सेवाभोक्ताओं की जातीय (एथनिक ओरिजिन), भाषा और विशेष आवश्यकताएं, ताकि बच्चों और परिवारों को दी जाने वाली सेवाओं में निरंतरता से सुधार लाए जा सकें। इस सूचना की सहायता से हम जातीय समानता और सेवाओं तक समान पहुंच के मामलों को भी प्रोन्नत कर सकते हैं, जैसा कि रेस-रिलेशंस अमेंडमेंट ऐक्ट (Race Relations Amendment Act) 2000, डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन ऐक्ट (Disability Discrimination Act) 1995 और वैल्श-लैंग्वेज ऐक्ट (Welsh Language Act) 1993 के तहत हम पर दायित्व है।

सूचना

सूचना को समायोजित करना, उसको उपयोग करना और उपलब्ध कराना कानून के अनुसार किया जाता है। इस संदर्भ में हो सकता है कि निम्नलिखित बिंदु आपके लिये प्रासंगिक हों:

- हमारे काम का विषय ही ऐसा है कि हमें अपने सेवाभोक्ताओं से संबंधित निजी जानकारी समायोजित करनी होती है। सभी समायोजन प्रक्रियाएं डेटा-प्रोटेक्शन ऐक्ट (Data Protection Act) 1998 के तहत अनजाम दी जाती हैं। डेटा-प्रोटेक्शन रजिस्टर में हमारी प्रविष्टि (एंट्री) इस वेबसाइट पर देखी जा सकती है: www.cafcass.gov.uk
- डेटा-प्रोटेक्शन ऐक्ट के तहत उस सूचना की कॉपी हमसे मांगी जा सकती है जो आपके बारे में हमने अपने पास रखी है।
- फ्रीडम-ऑफ़-इन्फ़ॉर्मेशन ऐक्ट (Freedom of Information Act) 2000 के तहत आपको सूचना उपलब्ध कराने के लिये हम वचनबद्ध हैं।

डेटा-प्रोटेक्शन ऐक्ट के नियमानुसार हम किस तरह काम करते हैं इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिये कृपा हमारी वेबसाइट www.cafcass.gov.uk के इन्फ़ॉर्मेशन-सैक्शन को विज़िट करें, या अपने स्थानीय केफ़कास कार्यालय से संपर्क करें।

हमारी वेबसाइट पर हमारी अन्य सभी सेवाओं के बारे में भी और ज़्यादा जानाकारी दी गई है।

www.cafcass.gov.uk

V3-05



5

Putting children first in
family courts